

	अध्याय – III ग्राम परिषद	
	11. (1) धारा 3 के तहत जैसे ही इसका गठन कर लिया जाता है प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय उनके बीच में से सीधे चुनाव के माध्यम से फर्स्ट कैप्टन और ग्राम परिषद के सदस्यों का चुनाव करेगा। (2) ग्राम परिषद में ऐसे सीटों की संख्या उप आयुक्त द्वारा निर्धारित नौ से अधिक और पाँच से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट कैप्टन भी शामिल है। (3) ग्राम परिषद के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और परिषद में सीटों की संख्या जिसे चुनाव द्वारा भरा जाना है, के बीच अनुपात, जहाँ तक संभव हो, सम्पूर्ण जिले में एक समान हो ; (4) ग्राम परिषद में जो कुल सीटों की संख्या का एक तिहाई से कम न हो, सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा। (5) फर्स्ट कैप्टन के पद की कुल संख्या का एक तिहाई से कम न हो महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा। (6) उप धारा (4) और (5) के तहत आरक्षित किए जाने वाले सीटों की संख्या प्रशासक द्वारा आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर, किया जाएगा; बशर्ते कि उप धारा 5 के तहत आरक्षित पद चुनाव आयुक्त द्वारा विभिन्न ग्राम परिषद और ग्राम परिषद के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र में बारी-बारी से उस तरीके से, जैसा निर्धारित किया गया है, आवंटित किया जाए।	ग्राम परिषद का गठन
	12. (1) ग्राम साधारण निकाय के प्रत्येक सदस्य जिसे इस विनियम के तहत अथवा तत्समय लागू किसी अन्य नियम के तहत अयोग्य ठहराया गया हो, ग्राम परिषद के किसी चुनाव में मतदान करने और ग्राम साधारण निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए पात्र माने जाएँगे। (2) ग्राम साधारण निकाय के प्रत्येक सदस्य जिसे इस विनियम अथवा लागू किसी अन्य नियम के तहत अयोग्य ठहराया गया हो, ग्राम परिषद में किसी सीट के लिए एक सदस्य के रूप में अथवा इसके फर्स्ट कैप्टन के रूप में अथवा दोनों के संबंध में भरे जाने के लिए पात्र होंगे। बशर्ते कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में और फर्स्ट कैप्टन के रूप में चुन लिया जाता है, उसे परिणाम के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के चौदह दिनों की अवधि के भीतर दोनों से एक पद से त्यागपत्र देना होगा, ऐसा न होने पर ग्राम परिषद में उसका सीट रिक्त हो जाएगा।	व्यक्ति मतदान करने और चुने जाने के लिए पात्र होंगे।